

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।

पत्रांक : मान्यता / 2770-72 / 2021-22

दिनांक 27-07-2021

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक,

ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, शान्तिपुरी नं०-2 (भरतपुर), रुद्रपुर।

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 में उप नियम-(6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन-पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार तथा विद्यालय की संस्तुति/निरीक्षण आख्या के आलोक में आपके विद्यालय **ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल, शान्तिपुरी नं०-2 (भरतपुर), रुद्रपुर** को कक्षा 01 से 08 (अंग्रेजी माध्यम) तक संचालन हेतु तीन वर्ष 01-04-2020 से 31-03-2023 तक की अवधि के लिए छात्र हित में निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ समय बृद्धि प्रदान की जाती है कि वे अधिकतम छः माह के भीतर मानक एवं मानदण्डों/शर्तों को पूर्ण कर लेंगे।
प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी -

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निः शुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता तक प्रदान करेगा।
4. उपरोक्त कम संख्या-3 में वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक के खाते का संचालन करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे:- :

एक- किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

तीन- किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

चार- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उप नियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

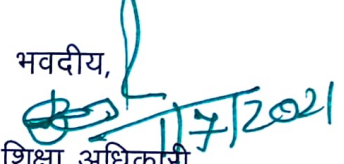
पांच- अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

छ:- शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 23 की धारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत जैसे सभी

शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

- सात— शिक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 24 की उप धारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्रावधानित शिक्षों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- आठ— शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा:—
- एक— विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
- दो— कुल निर्मित क्षेत्र।
- तीन— खेल के मैदान का क्षेत्र।
- चार— कक्षा-कक्षों की कुल संख्या।
- पांच— प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार कक्ष।
- छः— बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय।
- सात— पेयजल सुविधा।
- आठ— मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर।
- नौ— बाधा रहित पहुँच।
- दस— शिक्षण अधिगत सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या — 10/2016-17 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।
21. अध्यापकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता शासनादेश के अनुसार होनी चाहिए ।
22. भूमि तथा भवन/किराया नामा विधिवत पंजीकृत होना चाहिए ।
23. अग्निशमन अधिकारी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
24. एन0सी0ई0आर0टी0के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुस्तकें व अन्य शर्तें लागू की जायेंगी ।
25. ज्येवेनाइल एक्ट का पालन किया जाना अनिवार्य है ।
26. छात्र/छात्राओं की सुरक्षा दृष्टि से विद्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरे अवश्य लगे होने चाहिए ।
27. अधिकतम विद्यालय 6 माह के भीतर निर्धारित मानकों/शर्तों को पूर्ण न करने पर मान्यता स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं का दोषी मानते हुए वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर ।

पृ0सं0: मान्यता /  /2021-22 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधम सिंह नगर ।
2. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर ।